न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – भागीरथ शाख, आर. ए. एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 2020/22

1. रामप्रताप पुत्र पन्नालाल जाति नाई निवासी सोढवाली हाल इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्तीं अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. पैरोकार राज

–:निर्णयः–

दिनांक :– 13.02.2020

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम सोढवाली तहसील लूनकरनसर हाल जिला बीकानेर का निवासी हैं । प्रार्थी की तहसील लूनकरणसर के ग्राम रोही सोढवाली की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 366 में प्रार्थी के शामिल खाता रामेश्वर लाल ,मघाराम, कानाराम, धन्नी, सुशीला पि0 पन्नाराम 1/2 हिस्सा दर्ज हैं। पिताजी के स्वर्गवास उपरान्त उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामप्रताप हैं सरपंच द्वारा बिना वारिसान की जांच किये तस्दीक करने पर कानाराम दर्ज हो गया है। कानाराम प्रार्थी का नाम नहीं है। कानाराम व रामप्रताप एक ही व्यक्ति हैं। सरपंच सोढवाली द्वारा बिना वारिसान की जांच किये प्रार्थी का नाम रामप्रताप के स्थान पर कानाराम दर्ज हो गया हैं। सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामप्रताप हैं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम कानाराम की जगह रामप्रताप किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2074–2077, पार्सद की तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

शपथ–पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई–डी, बैंक पासबुक पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को रिपोर्ट हेतु भेजा गया तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि संलग्न दस्तावेज व पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार खातेदार प्रार्थी का नाम कानाराम के स्थान पर रामप्रताप उर्फ कानाराम संलग्न दस्तावेज के अवलोकन में दुरूस्त किये जाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

3. उभयपक्ष की बहस सूनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की तहसील लूनकरणसर के ग्राम रोही सोढवाली में प्रार्थी के शामिल खाता में ख.नं. 439 में 7.79 है0 खातेदारी कृषि भूमि है। जो कि उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण कानाराम लिखा हुआ है, जबकि प्रार्थी का सही वास्तविक नाम रामप्रताप है। जो कि आधार कार्ड, वोटर आई–डी, बैंक पासबुक में दर्ज है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम कानाराम की जगह रामप्रताप किए जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2074–2077, आधार कार्ड, वोटर आइ.डी., बैंक पासबुक आदि की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. परोकार राज द्वारा रिपोर्ट के कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोढवाली की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 366 में कानाराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई दर्ज हैं। प्रार्थी के आवेदन में संलग्न दस्तावेज व पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार खातेदर प्रार्थी का नाम कानाराम के स्थान पर कानाराम उर्फ रामप्रताप संलग्न दस्तावेज के आवलोकन किया जाना उचित हैं।

5. हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि में रामप्रताप का कानाराम नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन गलत तस्दीक से होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजा रोही ग्राम सोढ़वाली की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 366 में कानाराम के स्थान पर रामप्रताप उर्फ कानाराम दुरूस्ती की आदेश प्रदान किए जाते है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested